संख्या-24 /2017/693/30-3-17-03बी/2008

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 31 मार्च, 2017

विषय : लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-325स0सु0/2017-06-प्रावि0/2011, दिनॉक 20-03-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य के लिये भारत सरकार के अंश रू0 440.00 लाख तथा राज्य सरकार के अंश रू0 32.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 472.00 लाख (रू0 चार करोड़ बहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-आरटी 11036/99/2011-एमवीएल, दिनॉक 28-11-2014 द्वारा लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना/निर्माण हेतु लागत रू0 12.62 करोड़ स्वीकृत की गयी है, जिसमें दी गयी फांट के क्रमांक-(I) से (XII) में सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य हेतु धनराशि रू0 840.00 लाख का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु समय-समय पर स्वीकृत धनराशि के अनुसार शासनादेश संख्या-1/3584/30-3-14-03बी/2008, दिनॉक 02-01-2015 द्वारा रू0 182.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-6/2016/81/30-3-16-03बी/2008, दिनॉक 18-01-2016 द्वारा रू0 250.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है। तत्क्रम में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से ई-मेल द्वारा प्राप्त पत्र दिनॉक 22-02-2017 द्वारा रू0 440.00 लाख की स्वीकृति निर्गत करते हुए परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के खाते में एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से दिनॉक 08-03-2017 को स्थानान्तरित किया गया है, जिसको परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा लेखाशीर्षक-1055-सड़क परिवहन-800-अन्य प्राप्तियां-05-लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना हेतु चालान संख्या-जे 03000 दिनॉक 20-03-2017 द्वारा जमा करा दी गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 32.00 लाख एवं अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 465.76 लाख कुल धनराशि रू0 497.76 लाख के सापेक्ष रू0 472.00 लाख (रू0 चार करोड़ बहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार इंटरनेशल सेंटर फार आटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) के मध्य हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था-सी0 एण्ड डी0एस0 (जल निगम, उत्तर प्रदेश) से परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न करके कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करा लिया जायेगा। साथ ही विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। परिवहन आयुक्त तथा आईसीएटी के द्वारा समय-समय पर कार्य का निरीक्षण किया जायेगा व सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे। कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-24/2017/693(1)/30-3-2017, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- अवर सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ), परिवहन भवन, 01 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र दिनॉक 20-02-2017 के क्रम में।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) द्वारा परिवहन आयुक्त।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in